

प्रशासनिक सेवाएँ तथा केंद्र बनाम दिल्ली सरकार

प्रलिस के लिये:

भारतीय संविधान का 69वाँ संशोधन, संविधान का अनुच्छेद 239AA, सामूहिक उत्तरदायित्व

मेन्स के लिये:

नई दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, सहकारी संघवाद, संवैधानिक संशोधन

चर्चा में क्यों?

प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण का मुद्दा दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच विवाद का विषय बना हुआ है, जिसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की [संविधान पीठ](#) द्वारा की जा रही है।

- इसी तरह के एक विवाद में एक अन्य संविधान पीठ द्वारा लगभग पाँच वर्ष पहले राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया गया था।

विवाद की पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2017 का नरिणय:
 - दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 के अपने फैसले में कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के प्रशासनिक उद्देश्यों के लिये उपराज्यपाल को हमेशा मंत्रपरिषद की सलाह और सफारिशों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।
 - वर्ष 2017 में अपील के जवाब में सर्वोच्च न्यायालय ने [संविधान के अनुच्छेद 239AA](#) की व्याख्या पर नरिणय लेने के लिये मामले को आगे संदर्भित किया।
- वर्ष 2018 का नरिणय:
 - पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से माना था कि दिल्ली के उपराज्यपाल को नरिवाचति सरकार की सहायता और सलाह लेनी चाहिये और दोनों को एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।
- वर्ष 2019 का नरिणय:
 - सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने सेवाओं के संदर्भ में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की शक्तियों के सवाल पर एक असमान मत दिया तथा मामले को आगे की सुनवाई के लिये तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया था।
 - जबकि एकल न्यायाधीश ने नरिणय दिया था कि दिल्ली सरकार के पास प्रशासनिक सेवाओं पर कोई शक्ति नहीं है।
 - हालाँकि एक अन्य न्यायाधीश ने कहा था कि नौकरशाही के शीर्ष अधिकारियों (संयुक्त नदिशक और उससे उच्च) की नयुक्तिया स्थानांतरण केवल केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है तथा अन्य नौकरशाहों से संबंधित मामलों के लिये मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का विचार मान्य होगा।
- वर्ष 2022 का मामला:
 - केंद्र ने 27 अप्रैल, 2022 को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने की मांग यह तर्क देते हुए की कि उसे राष्ट्रीय राजधानी और "राष्ट्र का चेहरा" होने के कारण दिल्ली में अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नयुक्ति करने की शक्ति की आवश्यकता है।
 - न्यायालय ने सहमति विक्त की कि "सेवाओं" शब्द के संबंध में केंद्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधित सीमिति प्रश्न को [संविधान के अनुच्छेद 145 \(3\)](#) के संदर्भ में संविधान पीठ द्वारा एक आधिकारिक नरिणय की आवश्यकता होगी।

मुद्दे में वाद और प्रतविवाद:

- वाद:
 - केंद्र लगातार कहता रहा है कि चूँकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी और देश का चेहरा है इसलिए प्रशासनिक सेवाओं पर इसका

नियंत्रण होना चाहिये, जिसमें नयिकृतियाँ और स्थानांतरण शामिल हैं।

■ **प्रतवावद:**

- **दलली सरकार** ने तरू दलल है कसंघवावद के हतल में नरलवाकतल प्रतनलधलतल के पास स्थानांतरण और नयलकृतल कल शकृतल होनी चाहलतल।
- दलली सरकार ने यह भी दलील दी थी कल **राषुदरीय राजधानी कषेतर दलली सरकार (संशोधन) अधनलतल, 2021** में हालतल संशोधन संवधलन के मूल ढाँचे के सदलधांत का उल्लंघन करता है।

नई दलली का शासन मॉडल:

- **संवधलन कल अनुसूची 1** के तहत दलली का दरूा एक केंदरशासतल प्रदेश का है, कतल अनुचूदे 239AA के तहत इसे 'राषुदरीय राजधानी कषेतर' का नाम दतल गया है।
- **भारत के संवधलन में 69वें संशोधन** द्वारा अनुचूदे 239AA को सममलतल कतल गया, जसलने केंदरशासतल प्रदेश दलली को एलजी द्वारा प्रशासतल केंदरशासतल प्रदेश घुषतल कतल जो कल नरलवाकतल वधलनसभा कल सहातल और सलाह पर काम करता है।
 - हालाँकल 'सहातल और सलाह' खंड केवल उन मामलों से संबंधतल है जलन पर नरलवाकतल वधलनसभा को सारूवजनकल वूवसूथा, पुलसल तथा भूमल के अपवाद के साथ **राजूय और समवरती सूची** के तहत शकृतलतल प्राप्त है।
- इसके अलावा **अनुचूदे 239AA** यह भी कहता है कल एलजी को या तो मंतरपरलषलद कल सहातल और सलाह पर कार्य करना होगा अथवा वह राषुदरपतलदलरा लतल गए नरलणतल को लागू करने के लतल बाधूय है।
- साथ ही **अनुचूदे 239AA** में यह वूवसूथा है कल उपराजूयपाल और दलली सरकार के बीच कसल मुददे पर मतभेद होने पर एलजी मामले को राषुदरपतल के पास भेज सकता है।
- इस प्रकार एलजी और नरलवाकतल सरकार के बीच यह द्वेध नयलंतरण सतूता संघरूष कल ओर उनमुख हो जाता है।

आगे कल राह

- **संवधलन कल संघीय प्रकृतल** इसकल मूल वशलषता है और इसे बदला नहीं जा सकता है, इस प्रकार सतूता में रहने वाले हतलधारक हमारे संवधलन कल संघीय वशलषता कल रकूषा करना चाहते हैं।
- **भारत जैसे ववलधल और बड़े देश में संघवावद के सतूतंभों, यानी राजूयों कल सूवायतूतता, राषुदरीय एकीकरण, केंदरीकरण, वकलेंदरीकरण, राषुदरीयकरण** तथा कषेतरूयकरण के बीच एक उकतल संतुलन कल आवशूयकता है।
 - अतूयधकल राजनीतकल केंदरीकरण या अराजक राजनीतकल वकलेंदरीकरण दोनों ही भारतीय संघवावद को कमजूर कर सकते हैं।
- इस वकलट समस्या का संतुषजनक और सूथायी समाधान वधलन-पुसूतक में नहीं बलूकल सतूता में बैठे लोगों कल अंतरातूमा में खूोजना होगा।
- लोकतंतर के सतूतंभों के रूपा में **सामूहकल उततरदायतलतूव**, सहातल और सलाह के साथ एक संतुलन खूोजना एवं यह तूय करना महतूतूवपूर्ण है कल दलली में सेवाओं पर केंदर या दलली सरकार का नयलंतरण होना चाहलतल या नहीं।

UPSC सवलल सेवा परीकूषा, वगत वरूष के प्ररूशन

प्ररूशन. कूया सरूवूचू नूयायालय का नरलणतल (जूलाई 2018) दलली के उपराजूयपाल और नरलवाकतल सरकार के बीच राजनीतकल कशमकश को नपलटा सकता है? परीकूषण कलजतल। (मुखूय परीकूषा, 2018)

सूरोत: इंडतलन एकसपरस